

(200) (268)

विले 

न्यायालय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

म० क० एक/विविध/छतरपुर/मू-रा०/2017/2629

श्री श्री राजेश अशोक शर्मा 2 जून 2017  
द्वारा आज दि. 14/8/17  
प्रस्तुत  
14-8-17  
क्लर्क ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रेमनारायण तनय श्री रामचरण ब्राह्मण  
निवासी शाकिन दोनी ग्राम हीरापुर  
तहसील व जिला छतरपुर म०प्र०  
वर्तमान-तहसील-जिला  
जिला - छतरपुर म०प्र०

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शारांग

अनावेदक

R. V. S.  
14/8/17

विविध आवेदन-पत्र अंतर्गत धारा 32 म०प्र० मू-राजस्व संहिता-1959 के अंतर्गत आवेदक के पक्ष में तहसीलदार छतरपुर तहसील व जिला छतरपुर द्वारा नामांतरण पंजी क्रमांक 25 में पारित आदेश दिनांक 15.04.1978 के तारतम्य में अभिलेख में प्रविष्टि कराने की स्वीकृति बावत्।

श्रीमान् महोदय,

आवेदक का आवेदन-पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

1- यह कि, आवेदक को भूमि सर्वे नम्बर 238/1/11<sup>में</sup> रकवा 2.000 हैक्टेयर भूमि का पट्टा आवेदक को नामांतरण पंजी क्रमांक 25 में तहसीलदार छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.04.1978 से दिया गया था तब से आवेदक उक्त भूमि पर काबिज है। तथा वर्तमान में भी आवेदक उक्त भूमि पर काबिज है। तहसीलदार के आदेश दिनांक 15.04.1978 के अनुसार पटवारी रिपोर्ट देखी। किसी को कोई

M

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालि

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/विविध/छतरपुर/भूरा/2017/2629

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमान आदि के हस्ताक्षर
30-8-17	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता श्री आर० पी० पालीवाल उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार छतरपुर, वर्तमान तहसील नौगांव जिला छतरपुर की नामांतरण पंजी क्रमांक 25 में पारित आदेश दिनांक 15.4.1978 के तारतम्य में अभिलेख में पृविष्टि कराने हेतु विविध आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32 म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है तथा मेमों के साथ परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा-5 का भी आवेदन प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>2- प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक को भूमि सर्वे नंबर 238/1/1 में से रकबा 2.000 है० भूमि का पट्टा आवेदक को नामांतरण पंजी क्रमांक 25 में तहसीलदार छतरपुर वर्तमान तहसील नौगांव जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.4.1978 से दिया गया था तब से आवेदक उक्त भूमि पर काबिज है, तथा वर्तमान में भी आवेदक उक्त भूमि पर काबिज है। तहसीलदार के आदेश दिनांक 15.4.1978 के अनुसार पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किया किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आई। आवेदक मौके पर काबिज पाया गया इसलिये आवेदक को भूमिस्वामी पट्टा दिया गया। लेकिन आज दिनांक तक राजस्व</p>	

//2//

अभिलेख में एवं कम्प्यूटर में नाम दर्ज कराने का आदेश दिये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

3- आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त भूमि पर लगभग 40 वर्षों से कृषि कार्य कर वर्तमान में भी काबिज हैं, और उक्त भूमि पाने की आवेदक पात्रता रखता है, लेकिन तहसीलदार, छतरपुर वर्तमान तहसील नौगांव जिला छतरपुर के नामांतरण पंजी क्रमांक 25 में पारित आदेश दिनांक 15.4.1978 के आदेशानुसार आवेदक का नाम आज तक राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं किया गया है। उनके द्वारा नामांतरण पंजी की सत्यप्रतिलिपि भी अभिलेख में प्रस्तुत की गई है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज न होने के कारण आवेदक शासन की योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहा है। आवेदक एक गरीब कृषक है और इस भूमि के अलावा उसके पास और कोई भूमि नहीं है, इसलिये वह उस भूमि की पात्रता रखता है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक का नाम कम्प्यूटर में दर्ज कराने एवं राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज कराने का अनुरोध किया गया है।

4- आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया गया उनके द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी में उल्लेख किया गया है। शासन के पैनल अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में बताया गया है कि इतने वर्ष पश्चात् राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज कराने का आवेदन दिया गया है उसकी पूर्ण जानकारी धारा-5 के आवेदन में देना चाहिये। आवेदक अधिवक्ता द्वारा धारा-5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर जानकारी दी गई है वह

//3//

समाधानकारक होने से स्वीकार किया जाता है।

5- उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्कों पर विचार किया गया तथा प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रकरण में संलग्न ग्राम हीरापुर हल्का पटवारी नंबर 33 तहसील छतरपुर वर्तमान तहसील नौगांव जिला छतरपुर सन् 1977-78 में पटवारी रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् तहसीलदार छतरपुर वर्तमान तहसील नौगांव जिला छतरपुर द्वारा भूमि सर्वे नम्बर 238/1/1 में से रकवा 2.000 है० भूमि का पट्टा आदेश दिनांक 15.4.1978 को कोई आपत्ति प्राप्त न होने के कारण एवं मौके पर काबिज होने पर भूमिस्वामी पट्टा तहसीलदार छतरपुर वर्तमान तहसील नौगांव जिला छतरपुर द्वारा स्वीकृत किया गया है।

6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर नामांतरण पंजी क्रमांक 25 में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.4.1978 अनुसार आवेदक को भूमि सर्वे नम्बर 238/1/1 में से रकवा 2.000 है० को राजस्व अभिलेख में दर्ज करने हेतु आदेश पारित किया गया। उपरोक्त आदेश में किसी भी स्तर पर आपत्ति प्राप्त नहीं, यदि उपरोक्त भूमि पर किसी वरिष्ठ न्यायालय या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई हो तो राजस्व अभिलेख में तहसीलदार के उपरोक्त आदेशानुसार रकवा 2.000 है० राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज किया जावे।

सदस्य